उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-207/2021/1309/तेईस-14-2021-24आ0पू0वि0नि0/2014
लखनऊ: दिनांक- 27 सितम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-198/2021/944/23-14-2021-24आ0पू0वि0नि0/2014, दिनांक 26.08.2021 द्वारा जनपद-बलिया की कुल 03 चालू कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 173.75 लाख निर्गत की गयी है। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.08.2021 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-204/2021/1211/23-14-2021-24आ0पू0वि0नि0/2014, दिनांक 01.09.2021 के पृष्ठांकन के बिन्दु संख्या-8 में त्रुटिवश अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के बिन्दु संख्या-8 में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया पढ़ा जाय।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.08.2021 एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 01.09.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 26.08.2021 एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 01.09.2021 की शेष शर्तें एवं अन्य विवरण यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-207/2021/1309(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज।
3- आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in